इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2016—ज्येष्ठ 6, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2016

क्र. डी-15-11-2016-चौदह-3.—इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15-11-2012-चौदह-3, दिनांक 27 अगस्त 2012 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के ''क्षेत्र'' को मन्दसौर जिले की दलौदा मंडी क्षेत्र को ''उक्त क्षेत्र'' से विपाटित करके स्वतंत्र मंडी घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 76(2) के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति, मन्दसौर एवं दलौदा की आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजनार्थ नियुक्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मन्दसौर को विभाजन अधिकारी नियुक्त किया गया है. विभाजन अधिकारी ने मूल कृषि उपज मंडी समिति, मन्दसौर द्वारा नवगठित कृषि उपज मंडी समिति, दलौदा को राशि रुपये 6,01,88,592/- (छ: करोड़, एक लाख, अठासी हजार, पांच सौ बान्वे मात्र) दिये जाने की अनुशंसा की गई है.

अत:, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 76(3) प्रयोग करते हुए, कृषि उपज मंडी समिति, मन्दसौर रुपये 6,01,88,592/- (छ: करोड़, एक लाख, अठासी हजार, पांच सौ बान्वे मात्र) नवगठित कृषि उपज मंडी समिति, दलौदा को भुगतान करने की सूचना जारी करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र में'' प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल द्वारा प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मई 2016

क्र. डी-15-11-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 27th May 2016

No. D-15-11-2016-XIV-3.—*Vide* this Department's Notification No. D-15-11-2012-XIV-3, dated 27th August 2012, the Dalouda comprising of Mandsaur Tehsil as its market area has been declared as in independent Market after splitting from the market area of Mandsaur, District Mandsaur.

As specified in Section 76(2) of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), Sub Divisional Megistrate, Mandsaur has been appointed to the apportionment of the assets and Liabilities between the Krishi Upaj Mandi Committees Mandsaur, Dalouda. Apportion Officer has recommended the amount of Rs. 6,01,88,592/- (Six crore, One lakh, Eighty eight Thousand, Five hundred, Ninety two Only) to be released by the Krishi Upaj Mandi Committee Mandsaur to Newly Constituted Krishi Upaj Mandi Committee Dalouda.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), in the Section 76(3) the State Government hereby issue notice to make Payment of Rs. 6,01,88,592/- (Six Crore, One lakh, Eighty eight Thousand, Five hundred, Ninety two Only) by Krishi Upaj Mandi Committee Mandsaur to Newly constituted Krishi Upaj Mandi Committee Dalouda.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.